न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2016 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये सुदर्शन कुमार के.पी. प्रवर्तन निरीक्षक बिजौलिया, भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. नन्दकिशोर खटीक उचित मूल्य दुकानदार राणाजी का गुढा तहसील बिजौलिया
2. रवि प्रकाश जैन पुत्र लाभचन्द जैन निवासी दयाराम जी की गली, डाबी जिला बून्दी

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री मनीष शर्मा विपक्षी अधिवक्ता एवं विपक्षीगण उपस्थित नहीं

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाडा (राज.)

निर्णय

दिनांक 24.04.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत दिनांक 05.08.2016 को विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 03.08.2016 को सांय 5.27 बजे रवि प्रकाश जैन ने डीलर उचित मूल्य दुकानदार श्री नन्दकिशोर खटीक से 50 लीटर नीला केरोसिन 4800/–रूपये में खरीदा । श्री गोपाल बेरागी (सरपंच राणा जी का गुढा) एवं उनके साथियों ने उसे रास्ते में पकडकर नीले केरोसिन की जरीकैन को कब्जे में ले लिया । जांच करने पर नीला केरोसिन राशन सामग्री का पाया गया । इस नीले केरोसिन को मैनें अपनी सुपुर्दगी में लेकर समीप स्थित उचित मूल्य दुकानदार श्री रमेश चन्द्र खटीक , मकरेडी ग्राम पंचायत को सुपुर्दगी में किया गया । भविष्य में मांगे जाने पर वापस जमा करवा दिया जायेगा । प्रवर्तन निरीक्षक श्री सुदर्शन के.पी. द्वारा तीन स्टॉक रजिस्टर जब्त कर लिये गये एवं जांच की गयी । भौतिक सत्यापन करने पर कुल 280 लीटर (जब्त किये गये 50 लीटर केरोसिन सहित) केरोसिन अधिक पाया गया जिसे उचित मूल्य दुकानदार रमेश चन्द्र खटीक को सुपुर्द कर दिया गया । इस प्रकार श्री नन्दकिशोर खटीक उचित मुल्य दुकानदार राणाजी का गुढा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

की धारा 6ए, 3/7 व 3/8 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है , अतः वजह सबूत श्री रवि प्रकाश जैन पुत्र श्री लाभ चन्द्र जैन निवासी दयाराम जी की गली , डाबी जिला बून्दी (राज.) से 50 लीटर नीला केरोसिन जब्त सरकार किया जाकर कुल 280 लीटर (जब्त किये गये 50 लीटर नीले केरोसिन सहित) केरोसिन तेल श्री रमेश चन्द्र खटीक उचित मूल्य दुकानदुार मकरेडी को संभलाया गया ।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में श्री नन्दकिशोर खटीक उचित मुल्य दुकानदार राणाजी का गुढा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा द्वारा कालाबाजारी की नीयत से श्री रवि प्रकाश जैन पुत्र श्री लाभ चन्द्र जैन निवासी दयाराम जी की गली , डाबी जिला बून्दी से सांठ – गांठ कर कुल 280 लीटर (विक्रय किये गये 50 लीटर नीले केरोसिन सहित) की कालाबाजारी करने की नीयत से विक्रय किया गया जिससे उल्लेखित आरोपियों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए 3/7, 3/8 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है । अतः कार्यवाही संबंधित पत्रादि प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में कुल 280 लीटर (विक्रय किये गये 50 लीटर नीले केरोसिन सहित) को राजसात करने का आदेश फरमावें । चूंकि प्रकरण के अन्तिम निस्तारण में समय लगने से नष्ट होने (उड़ जाने) की संभावना के कारण जब्तशुदा नीले केरोसिन का अन्तरिम निस्तारण करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.08.2016 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी सं. 01 ने दिनांक 23.03.2017 को जवाब पेश किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि श्री नन्दकिशोर खटीक उचित मुल्य दुकानदार राणाजी का गुढा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा द्वारा कालाबाजारी की नीयत से श्री रवि प्रकाश जैन पुत्र श्री लाभ चन्द्र जैन निवासी दयाराम जी की गली , डाबी जिला बून्दी से सांठ – गांठ कर कुल 280 लीटर (विक्रय किये गये 50 लीटर नीले केरोसिन सहित) की कालाबाजारी करने की नीयत से विक्रय किया गया जिससे उल्लेखित आरोपियों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए 3/7, 3/8 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है । कार्यवाही संबंधित पत्रादि प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण में कुल 280 लीटर (विक्रय किये गये 50 लीटर नीले केरोसिन सहित) को राजसात करने का आदेश फरमावें।

विपक्षीगण एवं विपक्षी अधिवक्ता दौराने बहस उपस्थित नहीं है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात अनुसार विपक्षी की उपस्थिति में पर्चा मौका (फर्द जब्ती व सुपुर्दगी) तैयार किया जिसमें 280 लीटर (विक्रय किये गये 50 लीटर नीले केरोसिन सहित) अधिक पाया जाना अंकित किया हुआ है एवं इस पर्चा मौका पर विपक्षी ने हस्ताक्षर किये है। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र के खण्डन मे प्रस्तुत शपथ पत्र सरपंच गोपाल बैरागी, रविप्रकाश, नन्दकिशोर के विश्वसनीय नही है। इस प्रकार विपक्षी श्री नन्दकिशोर खटीक उचित मुल्य दुकानदार राणाजी का गुढा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा द्वारा कालाबाजारी की नीयत से श्री रवि प्रकाश जैन पुत्र श्री लाभ चन्द्र जैन निवासी दयाराम जी की गली, डाबी जिला बून्दी से सांठ – गांठ कर कुल 280 लीटर (विक्रय किये गये 50 लीटर नीले केरोसिन सहित) की कालाबाजारी करने की नीयत से विक्रय किया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए 3/7, 3/8 के तहत दण्डनीय अपराध किया है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये 280 लीटर (विक्रय किये गये 50 लीटर नीले केरोसिन सहित) को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये 280 लीटर (विक्रय किये गये 50 लीटर नीले केरोसिन सहित) को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त 280 लीटर (विक्रय किये गये 50 लीटर नीले केरोसिन सहित) का सक्षम पी. डी. एस. के माध्यम से अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाडा (राज.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाडा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाडा